

निर्वाचन संचालन नियम-1961

(सांविधिक नियम एवं आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

02-यमुनोत्री विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि -

श्री संजय डोभाल, ग्राम चक्रगांव, पो0ओ0/तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी [जो निर्दलीय (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचन हो गए हैं।

स्थान- उत्तरकाशी।

तारीख - 10.03.2022

  
रिटर्निंग ऑफिसर/02  
02-यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र।  
उपजिलाधिकारी दुण्डा

## Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **2-Yamunotri** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**श्री Sanjay Dobhal**

**village chakraon post/tehsil barkot uttarkashi** [sponsored by **Independent** ] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 10-03-2022

  
(Smt Minakshi Patwal)  
Returning Officer  
02-Yamunotri  
Legislative Assembly Constituency  
02 यमुनोत्री  
रिटर्निंग ऑफिसर/  
उपजिलाधिकारी दुण्डा